भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3178

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन

3178. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम में बड़े संशोधन करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित संशोधन में बच्चों के साथ यात्रा करते समय चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दोगुना जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपर्युक्त नियम न केवल निजी वाहनों पर बल्कि स्कूलों द्वारा संचालित या किराए पर लिए गए वाहनों पर भी लागू होंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार बच्चों की सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है। मोटर यान अधिनियम, 1988 में बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। धारा 194ख में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है जो किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है, जिसने आयु चौदह वर्ष प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या बाल-अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

नियम 125(8) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद निर्मित श्रेणी एम । (परिवहन और विशेष प्रयोजन वाहनों को छोड़कर) के मोटर वाहनों में एआईएस:072-2009 में निर्दिष्ट बाल अवरोध प्रणाली लगाने का प्रावधान होना चाहिए।

- नियम 138(6) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2016 से, एम । श्रेणी के वाहनों (1 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद निर्मित) के चालकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 12 वर्ष तक के बच्चे उपयुक्त बाल अवरोध प्रणाली में बैठे हों।

- सरकार ने सा.का.नि. 126(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2022 के तहत चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा हार्नेस और उनके सिर पर फिट होने वाला क्रैश हेलमेट या मानकों के अनुरूप साइकिल हेलमेट का उपयोग तब तक अनिवार्य कर दिया है जब तक कि बीआईएस द्वारा नौ माह से चार वर्ष की आयु के पीछे बैठे बच्चे के लिए विनिर्देश निर्धारित नहीं कर दिए जाते।
- सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में स्कूल बसों के निर्माण के संबंध में एक समान प्रावधान निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:

  (i) सा.का.नि. 589(अ), दिनांक 16-09-2005 के तहत ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस-063) के अनुसार स्कूल बसों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए है।

  एआईएस-063 उन सभी स्कूल बसों पर लागू है जिनमें चालक को छोड़कर 13 यात्रियों और उससे अधिक की बैठने की क्षमता है। मानक में दिए गए प्रावधान "बस बॉडी डिज़ाइन और अनुमोदन हेतु एआईएस-052 कार्य संहिता" में बसों के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं।

  एआईएस-063 में स्कूल बसों का एक समान रंग, प्रतीक चिन्हों (इनसिग्निया) का डिज़ाइन और स्थान, आपातकालीन निकास, सीटों का डिज़ाइन और लेआउट, बैठने की क्षमता, रुकने का संकेत आदि जैसी आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट किया गया है।

  (ii) सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 28-04-2023 द्वारा स्कूल बसों में यात्री कम्पार्टमेंट में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को अधिसूचित किया गया, जिसे 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया गया है।

  (iii) सा.का.नि. 290(अ), दिनांक 15-04-2015 द्वारा सभी स्कूल बसों के लिए 60 किमी/घंटा की गति सीमा निर्धारित की गई है।

  (iv) स्कूल बसों का फिटनेस परीक्षण केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार किया जाता है।

इन प्रावधानों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

****